हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16.7.2018

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीया का कथन है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.3.2017 द्वारा अपील अपीलांट अर्न्तगत धारा 10 सीपीसी इस शर्त के साथ स्वीकार की गयी थी कि प्रश्नगत भूम का विवाद मा. सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 सिविल न्यायालय के निर्णय तक कार्यवाही कार्यवाही स्थगित की गयी थी। मा0 सिविल न्यायालय से वाद सरस्वती देवी आदि (प्रार्थीयान) द्वारा दिनांक 17.8.17 को वापस ले लिया है। प्रार्थीया मूल अपील को पुनः नम्बर पर लेकर आगामी कार्यवाही का निवेदन कर रहे हैं अभिभाषक अप्रार्थीयान का कथन है कि इस भूमि के संबंध में दावा सहायक कलक्टर हनुमानगढ में जैरकार है व स्थगन है तथा मा. राजस्व मण्डल अजमेर में अनवानी विनोद कुमार आदि बनाम सरस्वती देवी आदि निगरानी याचिका विचाराधीन है व स्थगन है। प्रार्थीगण के हकों का निर्धारण वाद मे होना है इसलिए प्रार्थीयान का प्रा0पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रश्नगत प्रार्थना पत्र मूल अपील को पुनः नम्बर पर लेकर आगामी कार्यवाही करने से संबंधित है। अपील इन्तकाल से संबंधित है। अपील में सिर्फ यह निर्धारण होना है कि इन्तकाल विधिवत है या नहीं । इस बिन्दु का निर्धारण उभय पक्षों की सुनवाई पश्चात् ही होना है। इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत अपील जिसमें कार्यवाही स्थगित की गयी थी को पुनः नम्बर पर लेकर उभय पक्षों की सुनवाई करना उचित होगा।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत अपील सं0 05/2016 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली संलग्न कर पुनः दर्ज की जावे। यह पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूल अपील के साथ सलंग्न रखी जावे।

आदेश सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official